राजथान सरकार
जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति
जिला– जयपुर (राजस्थान)

प्रोफसर (डॉ.) बीरू सिह राठौड़
अध्यक्ष
मोबाईलः 9314602641
ई–मेलः
jaipurpol.js@gmail.com
birusinghrathorebjp@gmail.com

आलोक श्रीवास्तव
सदस्य–सचिव
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त(मुख्यालय)
पुलिस आयुक्तालय जयपुर
मोबाईलः 9887143046, 8764866913
ई–मेलः
adcp.hq.jaipur@rajpolice.gov.in
jaipurpol.js@gmail.com

कैन्हया लाल मीणा
सदस्य
मोबाईलः 9829850096, 9414085199
ई–मेलः kanhaiyalalbassi@rediffmail.com
jaipurpol.js@gmail.com

अरूण खटौड़
सदस्य
मोबाईलः 9829066825
ई–मेलः arunkhator62@gmail.com
jaipurpol.js@gmail.com

श्रीमती मंजू सैनी
सदस्य
मोबाईलः 9829292605, 7733858898
ई–मेलः jaipurpol.js@gmail.com
saurabhtanwar97@gmail.com

प्रोफेसर (डॉ.) बीरूसिंह राठौड
पूर्व विधायक
बी.कॉम (आनर्स) एम.कॉम, एम.फिल,पी.एच.डी
अध्यक्ष, पुलिस जवाबदेही समिति
जिला जयपुर

निवास – ए 34, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा
बाईपास, जयपुर।

मोबाईल : 93146–02641

राजस्थान सरकार
पुलिस जवाबदेही समिति
जिला जयपुर

क्रम	पद	नाम – पता	मोबाईल	ईमेल
1	अध्यक्ष	प्रो. श्री बीरूसिंह राठौड ए 34, त्रिवेणीनगर गोपालपुरा बाईपास, जयपुर	9314602641	bjprajasthanjaipur@gmail.com birushinghrathorebjp@gmail.com
2	सदस्य	श्री कन्हैया लाल मीना 53/204, वीर तेजाजी रोड, रेयान स्कूल के सामने, मानसरोवर, जयपुर	9829850096	kanhaiyalalbassi@rediffmail.com
3	सदस्य	श्रीमती मंजू सैनी मकान नं. सी 171, शर्मा गेस्ट हाउस के पीछे वाली गली, निर्माण नगर, मानसरोवर, जयपुर	9829292605 7733858898	saurabhtanwar97@gmail.com
4	सदस्य	श्री अरूण खटोड सी 19–20ए, मुखर्जी कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर	9829066825	shobha.printer@gmail.com
5	सदस्य – सचिव	आलोक श्रीवास्तव अति. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) आयुक्तालय, जयपुर	9887143046	adcphq.jpr@gmail.com jaipurpol.js@gmail.com
	अध्यक्ष पुलिस जवाबदेही समिति राजस्थान	श्री गोपाल लाल गुप्ता 7/22 विधाधर नगर सीकर रोड, जयपुर	9413341742	

बी. सिं. राठौड़

(बीरूसिंह राठौड़)

Rajasthan Police

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007

2007 का अधिनियम संख्या 14

असाधारण राज–पत्र भाग 4 (क) दिनांक 1.11.2007

अधिसूचना

अध्याय 9 – पेज. 33–35
पुलिस की जवाबदेही समिति
धारा 62 से 69

62. पुलिस की जवाबदेही. – (1) राज्य सरकार, यथासंभव शीघ्र एक राज्य पुलिस जवाबदेही समिति (जिसे इसमें इसके आगे राज्य समिति ''के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) और प्रत्येक जिले या जिलों के समूह के लिए जिला जवाबदेही समिति (जिसे इसमें इसके आगे ''जिला समिति'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) स्थापित करेगी।

(2) इस धारा के अधीन स्थापित समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसे पारिश्रमिक और जेब से किये गये व्यय का संदाय किया जा सकेगा जो राज्य सरकार समय–समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करें।

63. राज्य समिति. –

(1) राज्य समिति में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट निम्नलिखित पांच सदस्य होंगे :–

(क) लोक संव्यवहार में अनुभव रखने वाले सुविख्यात और एकता में विश्वसनीय अभिलेख और स्वतंत्र सदस्यों के रूप में मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले चार व्यक्ति : परन्तु एक स्वतंत्र सदस्य समाज के कमजोर वर्ग से और एक महिलाओं में से होगा।

(ख) अपर पुलिस महानिदेशक की पंक्ति का एक अधिकारी उसके सदस्य–सचिव के रूप में होगा.

(ग) राज्य सरकार स्वतंत्र सदस्यों में से किसी एक को राज्य समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) राज्य समिति को ऐसी सचिवीय सहायता उपलब्ध करवायी जा सकेगी जो कि राज्य सरकार समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे।

64. राज्य समिति के कृत्य. – राज्य समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) पर्यवेक्षण पंक्ति के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध ''घोर अवचार'' के अभिकथनों की या तो स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या जिला समिति से प्राप्त किसी शिकायत पर, जांच करनाए.,

(ख) ऐसे अन्य कृत्य करना जो राज्य सरकार समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें, या

(ग) जहां कहीं भी अपेक्षित हो, उसके द्वारा जांच किये गये किसी मामले में राज्य सरकार को सिफारिशें करना।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजन के लिए ''घोर अवचार'' से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं :–

(I) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लोप या करण का ऐसा कोई असद्भाविक कार्य जो–

(i) घोर अपहति,

(ii) अवैधनिरोध, या

(iii) ऐसे किसी भी अपराध, जिसके लिए विधि में विहित अधिकतम दण्ड दस वर्ष या उससे अधिक है –

मैं परिणत होता है या उसकी कोटि में आता है, या

(II) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उद्दापन।

65. राज्य पुलिस जवाबदेही समिति की शक्तियां. – राज्य पुलिस जवाबदेही समिति को इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित मामलों के संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं.5) के अधीन किसी न्यायालय को वाद का विचारण करते समय होती है, अर्थात्–

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना.

(ख) दस्तावेजों के पेश किये जाने के लिए बाध्य करना, और

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,

और समिति के समक्ष की कार्यवाहियां भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा193, 196 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जायेंगी।

66. जिला समिति. – जिला समिति में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित पांच सदस्य होंगे–

(क) लोक संव्यवहार में अनुभव रखने वाले सुविख्यात और एकता में विश्वसनीय अभिलेख और स्वतंत्र सदस्यों के रूप में मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले चार व्यक्ति : परन्तु एक स्वतंत्र सदस्य समाज के कमजोर वर्ग से और एक महिलाओं में से होगा।

(ख) अपर पुलिस अधीक्षक की पंक्ति का एक अधिकारी इसके सदस्य–सचिव के रूप में होगा,

(ग) राज्य सरकार, स्वतंत्र सदस्यों में से किसी एक को जिला समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी।

67. जिला समिति के कृत्य. – जिला समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी :

(क) अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस कार्मिक के विरूद्ध ''घोर अवचार'' के अभिकथनों की या तो स्वप्रेरणा से या शिकायत पर जांच करना और अपनी सिफारिशें संबंधित अनुशासनिक प्रधिकारी को भेजना :

परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी, समिति द्वारा की गयी सिफारिशें पर तीन मास की कालावधि के भीतर–भीतर विनिश्चय करेगा और विनिश्चय की प्रति समिति को भी सूचना के लिए भेजेगा.,

(ख) अधीनस्थ पंक्तियों के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांचों को मॉनिटर करना, या

(ग) पर्यवेक्षण पंक्ति के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त की गयी शिकायतों और ऐसे अन्य मामलों, जिन्हें वह ठीक समझे, को राज्य समिति को निर्दिष्ट करना।

68. समितियों के स्वतंत्र सदस्यों की पदावधि.–

(1) राज्य समिति या जिला समिति के स्वतंत्र सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी और कोई भी स्वतंत्र सदस्य उसकी समिति में दूसरी अवधि के लिए नाम निर्देशित नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य समिति या जिला समिति के किसी भी स्वतंत्र सदस्य को हटा सकेगी, यदि वह धारा 69 में विनिर्दिष्ट कोई निरर्हता उपगत कर लेता है या वह

स्वतंत्र सदस्य के रूप में उस पर व्यादिष्ट कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है।

69. **स्वतंत्र सदस्य के रूप में नाम निर्देशन के लिए निरर्हता.–** कोई व्यक्ति, राज्य समिति के या जिला समिति के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नाम निर्देशित किये जाने का पात्र नहीं होगा यदि वह –

(क) भारत का नागरिक नहीं है,

(ख) किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, या जिसके विरूद्ध किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अन्तवर्लित किसी अपराध के आरोप विरचित किये है,

(ग) किसी भी लोक सेवा से पदच्यूत, हटाया या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है,

(घ) किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है,

(ड.) विकृत चित्त है.